सैंटा क्लैरा काउंटी मे अपने मताधिकारों को जाने

कैलिफ़ोर्निया के 2020 के आम चुनाव

ASIAN AMERICANS ADVANCING JUSTICE
ASIAN LAW CAUCUS

मतपत्रों को सभी पंजीकृत मतदाताओं को मेल किया जाना: **5 अक्टूबर, 2020 से शुरू हो रहा**
मतपत्र ड्रॉप बक्सों का प्रारंभ: **सोमवार, 5 अक्टूबर, 2020**
पंजीकरण की अंतिम तिथि: **सोमवार, 19 अक्टूबर, 2020**
मतदान केन्द्रों पर व्यक्तिगत रूप से मतदान: **शनिवार, 31 अक्टूबर, 2020 - मंगलवार, 3 नवंबर, 2020**
सैंटा क्लैरा काउंटी चुनाव कार्यालय: 866-430-VOTE (8683)

मतदान के लिए तैयार है

चुनाव मे मतदान करने के लिए आपको सबसे पहले मतदान के लिए पंजीकरण करना होगा! आप पंजीकरण कर सकते है यदि आप:

- यूएस के नागरिक हैं;
- कैलिफ़ोर्निया के एक निवासी हैं;
- मतदान दिवस पर 18 वर्ष या उससे अधिक के होंगे;
- वर्तमान मे कारावास या आपराधिक कार्य की सजा मे पैरोल पर छोड़े गए है; और
- न्यायलय द्वारा "मानसिक रूप से अयोग्य" नहीं ठहराया गया हो;

<u>पहले से पंजीकृत हैं?</u>
अपने मतदाता पंजीकरण की जानकारी की जाँच करें और अपडेट करें। voterstatus.sos.ca.gov का उपयोग करें:

✓ अपने डाक पते की पुष्टि के लिए
✓ समय-समय पर अपने काउंटी के चुनाव कार्यालय से सूचना प्राप्त करने के लिए ईमेल एड्रेस को जोड़ने अथवा अपडेट करने के लिए
✓ अनूदित सामग्रियों को अपने चुनिंदा भाषा मे इंगित करने के लिए, यदि वे आपके क्षेत्र मे उपलब्ध है

आप सैंटा क्लैरा काउंटी के मतदाता अनुरोध कार्य प्रपत्र, जो काउंटी के चुनाव कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का उपयोग कर भी अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं।

<u>पंजीकरण करना चाहते हैं?</u>
सोमवार, 19 अक्टूबर से आप पंजीकरण कर सकते हैं:

- ऑनलाइन registertovote.ca.gov पर;
- डीएमवी, डाकघर अथवा अपने काउंटी के चुनाव कार्यालय से; अथवा
- मतदाता पंजीकरण प्रपत्र, जिसे 19 अक्टूबर तक डाक द्वारा अवश्य छोड़ा जाना चाहिए, का अनुरोध करने के लिए काउंटी के चुनाव कार्यालय को 1-866-430-VOTE (8683) पर फोन करके!

<u>क्या होगा, यदि मै मतदाता पंजीकरण की अन्तिम तिथि भूल जाऊँ?</u>
कोई बात नहीं! आप फिर भी पंजीकरण कर सकते है और किसी भी दिन मतदान दिवस तक और उसके बाद भी मतदान कर सकते हैं।

विकल्प 1: आप पंजीकरण करने और फिर मतदान करने के लिए "उसी दिन मतदाता पंजीकरण" का उपयोग करने के लिए अपने काउंटी चुनाव कार्यालय या किसी मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। आपको मौके पर मतदाता पंजीकरण प्रपत्र और मतपत्र को पूरा करने के लिए दिया जाएगा।

विकल्प 2: यदि आप मतदान के लिए पंजीकृत नहीं है और चुनाव कार्यालय अथवा मतदान केन्द्र पर नहीं जा सकते है तो "सुदूर सुगम डाक-द्वारा-मतदान" का इस्तेमाल करते हुए, आप कैसे पंजीकरण कर सकते है और सुदूर मतदान कर सकते हैं, इसके लिए काउंटी चुनाव कार्यालय से सम्पर्क करें

मतदान कैसे करें? आपके पास भविष्य के लिए विकल्प है!

घर से मतदान करना

यदि आप 19 अक्टूबर तक पंजीकरण करते है तो आपको स्वत: मेल से मतपत्र के साथ दिशनिर्देशों, कि कैसे इसे भरना और वापस करना है, की प्राप्ति होगी। आप कर सकते हैं:

1. अपने मतपत्र को डाक द्वारा भेजें-- कोई डाक टिकट की आवश्यकता नहीं!
   - अपने मतपत्र के लिफाफे पर हस्ताक्षर करना और तिथि डालना ना भूलें।
   - यह सुनिश्चित करें कि आपका मतपत्र मतदान दिवस या उसके पहले का डाक मोहर लगा होना चाहिए।
2. अपने काउंटी या मतदान केन्द्र मे चारो ओर स्थित कई मे से किसी एक आधिकारिक मतपत्र "ड्रॉप बक्सों" मे डालें--पुन:, किसी डाक टिकट की आवश्यकता नहीं! 24-घंटे सुरक्षित मतपत्र ड्रॉप बक्से है जो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे है और 3 नवंबर रात 8 बजे तक जारी रहेंगे। अपने स्थान के नजदीकी मतदान केन्द्रों और ड्रॉप बक्सों को पाने के लिए eservices.sccgov.org/rov पर जाएँ।

व्यक्तिगत रूप से मतदान

यदि आप व्यक्तिगत रूप से मतदान करना चुनते है तो कर सकते हैं! पूर्व मतदान और उसी दिन पंजीकरण आपके काउंटी चुनाव कार्यालय और मतदान केंद्रों पर उपलब्ध है।

सैंटा क्लैरा काउंटी का चुनाव कार्यालय 1555 बर्गर ड्राइव बिल्डिंग 2, सैन जोस, सीए 95112 पर स्थित है।

यह मतदान के लिए खुला है:

सोमवार- शुक्रवार 5 अक्टूबर - 2 नवंबर: सुबह 8 बजे- शाम 5 बजे

शनिवार-रविवार 24 अक्टूबर - 25 अक्टूबर और 31 अक्टूबर - 1 नवंबर: सुबह 8 बजे - शाम 5 बजे

3 नवंबर: सुबह 7 बजे - शाम 8 बजे

अथवा आप काउंटी के किसी मतदान केंद्र पर मतदान कर सकते हैं। मतदान केंद्र **शनिवार, 31 अक्टूबर, 2020 से मंगलवार, 3 नवंबर, 2020** तक खुले रहेंगे। आपको आपके मतदान केंद्र के स्थानों और इसके प्रचालन के बारे मे जानकारी मेल द्वारा प्राप्त होगी या आप अपने नज़दीकी मतदान केंद्रों के लोकेशन का पता लगाने के लिए eservices.sccgov.org/rov पर जा सकते हैं।

मतदान दिवस पर, मतदान केंद्र **सुबह 7 बजे से रात 8 बजे** तक खुले रहेंगे। 8 बजे तक, जब तक आप कतार मे खड़े है तब तक आप अपने मत डाल पाएँगे।

मतपत्र प्राप्त करने के लिए किसी भी मतदान केंद्र पर जाएँ और उन्हे अपना नाम और पता दें। यदि आप गैर अंग्रेजी भाषा मे मतदान करना चाहते है तो उन्हे पूछे कि क्या उस भाषा मे उनके पास कोई सामग्री उपलब्ध है और क्या मतदान केंद्र का कोई कर्मी उस भाषा मे बात करता है।

<u>क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा होगी?</u>

हाँ। मतदान केंद्र कर्मचारी मास्क पहनेगे और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा का अनुपालन करेंगे और शारीरिक दूरी के अनुमति के साथ मतदान केंद्रों को स्थापित करेंगे। मतदाताओं को राज्य और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की आवश्यकताओं, जिसमे चेहरा ढकने के लिए फेस कवर और शारीरिक दूरी को बनाए रखना शामिल है, का अनुपालन अवश्य करना होगा।

<u>मतदान के दौरान क्या मुझे पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता है?</u>

लगभग सभी मामलों में, नहीं। आपको दस्तावेजों को केवल तब दिखाने की आवश्यकता होगी यदि आप पहली बार मतदान कर रहे है और आपने अपना ड्राइविंग-लाइसेंस

संख्या, राज्य पहचान पत्र संख्या अथवा सामाजिक सुरक्षा संख्या को मतदान के लिए पंजीकृत करने वक्त जोड़ा नहीं था। यदि यह मामला है तो, कई दस्तावेज उपयोगी साबित होंगे। यदि आप इसे लेकर चिंतित है तो अपने चुनाव कार्यालय को पहले ही फोन करें।

<u>क्या मै मतदान मे सहायता के लिए किसी को साथ ला सकता/ सकती हूँ?</u>
हाँ। कैलिफ़ोर्निया का कानून आपको व्यक्तिगत रूप से मतदान करने मे सहायता के लिए 2 लोगों तक को लाने की इजाजत देता है, बशर्ते कि वे आपके नियोक्ता अथवा संघ का प्रतिनिधित्व नहीं करते हों। परिवार के सदस्य अथवा मित्र को साथ लाएँ।

क्या होगा यदि मुझे मतदान करने के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़े?

हार न माने! **उसी दिन मतदाता पंजीकरण** से लेकर पुन: पंजीकरण और मतदान करने का उपयोग करने **के लिए निवेदन करें**। यदि आप किसी कारण से ऐसा नहीं कर पाते है तो **अस्थाई मतपत्र की माँग करें**, जो एक मतपत्र है, यदि चुनाव अधिकारी आपकी पात्रता की पुष्टि करते है तो इसे चुनाव दिवस के बाद गिना जाएगा ।

अथवा, मतदान दिवस मतदाता संरक्षण हॉटलाइन पर फोन करें:

- अंग्रेजी मे सहायता के लिए 866-OUR-VOTE (866-687-8683)
- अंग्रेजी, मैंडरिन, कैंटोनिज, वियतनामी, कोरियाई, बंगाली, उर्दू, हिन्दी और तागलोग मे सहायता के लिए 888-API-VOTE (888-274-8683)
- नलिओ शैक्षणिक कोष द्विभाषी अंग्रेजी-स्पेनिश टोल फ्री हॉटलाइन 888-Ve-Y-Vota (888-839-8682)

<u>क्या मै अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं मे मतदान कर पाऊँगा?</u>
हाँ! यदि आप खामेर, चीनी, तागलोग, हिन्दी, जापानी, कोरियाई, स्पेनिश अथवा वियतनामी मे मतदान करना चुनते है तो अनूदित मतपत्र, जिसपर आप मतदान कर सकते हैं, उपलब्ध हैं। यदि आप नेपाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल और तेलगु बोलते है तो अनूदित "प्रतिलिपि" मतपत्र उपलब्ध हो सकता है।
यदि आप घर से मतदान कर रहे है और अनूदित मतपत्र और अन्य संसाधनों को चाहते है तो चुनाव कार्यालय को 866-430-VOTE (8683) पर फोन करें और आपको एक अनूदित मतपत्र भेजने का निवेदन करें।
यदि आप व्यक्तिगत रूप से मतदान करने वाले है तो मतदान केन्द्र के कर्मचारियों से अनूदित मतपत्रों की माँग करें। आपकी सहायता के लिए द्विभाषी मतदान कर्मचारी उपलब्ध हो सकते हैं।
आप मतदान मे भाषा के उपयोग पर एक विज्ञप्ति पत्रक: advancingjustice-alc.org/know-your-voting-rights/ पर प्राप्त कर सकते है जो आपको इस बारे मे विस्तार से बताता है।

एशियाई अमरीकी एडवांसिंग जस्टिस- एशियाई विधि दल
55 कोलंबस एवेन्यू, सैन फ्रांसिस्को, सीए 94111
टेलीफोन (415) 896-1701
www.advancingjustice-alc.org